IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)

DM Pithoragarh(8009)

Treasury-Pithoragarh(3800)

DDO-District Homeopathy Medical OfficerPithoragarh(2762)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H24080070486
आवंटन पत्र दिनांक-09-AUG-2024

लेखा शीर्षक

2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम
102-सामुदायिक विकास
04-जिला योजना पिथौरागढ के क्रियान्वयन हेतु एक मुश्त व्यवस्था

00--
91-जिला योजना

Voted

2	5	1	5	0	0	1	0	2	9	1	0	4

प्रोजैक्ट का नाम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
P8013161713409:Gov. Homeopath chikitsalay berinag ka Sudhrikaran ka kary	42-अन्य विभागीय व्यय	0	300000	300000
योग		0	300000	300000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.3,00,000 (Rupees Three Lacs Only)

प्रोजैक्ट का नाम	प्रतिबंध लागत	टी ए सी लागत (निर्माण)	टी ए सी लागत (वसूली)	समायोजित मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
Gov. Homeopath chikitsalay berinag ka Sudhrikaran ka kary	300000	0	0	0	0	300000	300000

Approval Status : APPROVED BY SUPERVISOR

अर्थ एवं संख्याधिकारी
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ।

पत्रांकः २५६ /जि0यो0–प्र0वि0स्वी0/2024–25 दिनांकः 09 अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञाप

सचिव रा0यो0आ0, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं 501/168/वा0जि0यो0/रा0यो0आ0/2016–17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 के क्रम में जनपद का परिव्यय निर्धारित कर अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (150) 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्रावधानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृतिया निर्गत किये जाने के में प्रथम किस्त में अनुदान संख्या – 07 सामान्य हेतु 5040.50 लाख रू0, अनुदान संख्या – 30 एस0सी0पी0 हेतु 1712.40 ल रू0 तथा अनुदान संख्या – 31 टी0एस0पी0 हेतु 425.70 लाख रू0 इस प्रकार कुल 7178.60 लाख रू0 अधोहस्ताक्षरी के निर्व पर रखा गया है।

जिला योजना वर्ष 2024–25 हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग का अनुमोदित परिव्यय 15.00 लाख रू0 सापेक्ष जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा प्रथम किस्त हेतु 15.00 लाख रू0 की वित्तीय एवं प्रशास स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है–

(धनराशि लाख रूपयें में)

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2024–25 मे अनुमोदित परिव्यय	प्रथम किस्त में आवंटित धनराशि की मांग			
			सामान्य	एस0सी0पी0	टी0एस0पी0	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	रा0हो0चि0 कालिका का मरम्मत कार्य एवं योगा हॉल, चहारदीवारी, प्रसाधन का निर्माण कार्य	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00
2	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, बेरीनाग के परिसर का सुधारीकरण	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	योग–	**15.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**15.00**

उक्त शासनादेशों में दिये गए निर्देशानुसार तथा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा प्रस प्रस्ताव के कम में जिला योजना वर्ष 2024–25 के उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पिथौरा को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनॉंक 24.03.2008 सचिव रा0यो0आ0, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 501/168/वा0जि0यो0/रा0यो0आ 2016–17 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2185631/14 (1 2017/XXVII (1)/2024 दिनांक 20 जून, 2024 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल रू0 15.00 ल (पन्द्रह लाख रूपये मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है–

1– उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत कार्यो पर ही किया जाय। व्यय केवल उ योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

2– उक्त व्यय में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषय समय–समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।

3– स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्ययाधिक्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4– जिन कार्यो का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आंगणन में नहीं है उन कार्यो पर न तो कोई व्यय किया जाय और ना ही व वित्तीय वायदा किया जायेगा।

5– उक्त धरनाशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विव शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्वता हेतु सम्बनि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

6– प्रश्नगत कार्यो के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ वि जायेगे एवं तत्पश्चात ही उन कार्यो पर व्यय किया जायेगा।

7– बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया मे अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर बजट सीम प्रति माह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0ए04 पर विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

8– इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से व्यय किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

9–उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवं परिव्यय के अर्न्तगत ही किया जाय।

10–सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक–पृथक राजस्व–पूंजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।

11– जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य अवलोकन हेतु सुरक्षित रखे जाये।

कमश